समयबद्ध / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
महिला कल्याण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी / सदस्य सचिव,
जिला संचालन समिति,
उ0प्र0।

पत्रांक –2338/ एफ0एम0यू0 / 2016–17 लखनऊः:दिनांकः 17 फरवरी, 2017

विषय – उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष योजनान्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आर्थिक सहायता का भुगतान किये जाने के लिए लाभार्थियों के खाते को सामान्य खाते में परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष योजनान्तर्गत पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आर्थिक सहायता का भुगतान किये जाने के लिए लाभार्थियों के खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने के बावजूद उनके खातों में धनराशि का अंतरण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण या तो खातों का अवयस्क लाभार्थी का होना, या खातों में धनराशि के अंतरण की सीमा होना या खातों का किसी योजना के तहत खुला होना पाया गया है।

उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष योजनान्तर्गत पोर्टल पर लाभार्थियों की बैंक डिटेल का अंकन किये जाने के पूर्व यह सत्यापित / सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित खाता सामान्य खाता हो एवं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई सीमा निर्धारित न हो, जिससे कोष की नियमावली के अनुसार निर्धारित न्यूनतम धनराशि रू0 1,00,000 / – एवं अधिकतम धनराशि रू0 10,00,000 / – का अंतरण तत्काल किया जा सके। इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

इसके अतिरिक्त धारा 304 ख आई0पी0सी0 के तहत पीड़िता के बच्चों के खातों की बैंक का विवरण कोष पोर्टल पर अंकित करते समय बच्चों के विवरण के साथ संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के अभिभावक के रूप में होने का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित करें। भविष्य में यदि किसी लाभार्थी के खाते में धनराशि अंतरण में कठिनाई / विलम्ब होता है, तो इसका सम्पूर्ण दायित्व संबंधित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी / सदस्य सचिव, जिला संचालन समिति का होगा।

भवदीया,

16/2/17

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला संचालन समिति, उ0प्र0 राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन।

(सरयू प्रसाद मिश्र)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार।